राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] चौदहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

सोमवार,

15 सितम्बर, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सबको नमस्कार, नमस्कार।

वन्दे मातरम्।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

मेरी तरफ से खम्मतखामणा। एक दौर चला खम्मतखामणा का, उस दौर के साथ में अपने को भी सम्मिलित करते हुए चौदहवीं विधान सभा के दो सत्रों में जाने-अनजाने कोई गलती हुई हो, आपके दिल को दु:खाया हो तो उसके लिए मैं आपको खम्मतखामणा निवेदन करता हूं।

श्री कालूलाल गुर्जर, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 8)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री कालू लाल गुर्जर)

अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक रविवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2014 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई । समिति ने सर्व-सम्मति से यह निर्णय लिया कि इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा तथा सोमवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2014 से बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

सोमवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2014	1. औपचारिक कार्य । 2. शोकाभिव्यक्ति ।
मंगलवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2014	बैठक नहीं होगी ।
बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2014	संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें ... अच्छा।

सरकारी मुख्य सचेतक यह प्रस्ताव भी करेंगे, आप प्रस्ताव कीजिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

अनुपस्थिति अनुमति

मानवेन्द्र सिंह, श्री, सदस्य को 15 सितम्बर, 2014 से सत्रान्त तक

अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने निजी अति आवश्यक कार्य से प्रदेश से बाहर होने के कारण दिनांक 15 सितम्बर, 2014 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रमेश, सदस्य की ओर से शिक्षक दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा शिक्षकों, मंत्रियों एवं राजस्थानवासियों के सम्बन्ध में कथित अमर्यादित, अपमानजनक एवं अत्यन्त गैरजिम्मेदाराना बयान देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से तहसील श्रीडूंगरगढ़ के पुलिस स्टेशन शेरूणा में 11 तीतरों के शिकार के मुल्जिमान के विरुद्ध दर्ज एफ.आई.आर. नम्बर 108 पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री रमेश द्वारा पेश जो स्थगन प्रस्ताव है, इसको मैं राज्य सरकार के पास जानकारी के लिए भेज रहा हूं, जानकारी आ जाने के बाद इस पर अपना निर्णय दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना दो मिनट के लिए इस पर बोलेंगे।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से जिला सीकर के फतेहपुर शहर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रमेश, सदस्य की ओर से सपोटरा के मण्डरायल को नवीन पंचायत समिति बनाने के सम्बन्ध में।

पर्ची द्वारा उठाये गये मुद्दे।

रमेश जी का वो ही विषय है, सरकार से जानकारी आने के बाद उस पर मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा।

(1) श्री घनश्याम, विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की खराब सड़कों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोतम कुमार, विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. में रिक्त चिकित्सकों के पदों को भरने की स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव आपकी अनुमति से मैंने प्रस्तुत किया है और जिस पर आपने मुझे संक्षेप में बोलने का फरमा दिया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान शेरूणा की पंचायत ... (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इतना महत्वपूर्ण विषय है उस पर मैं मेरी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने जानकारी मांगी है, जानकारी आ जाने दीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): एक वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं। देखिये, अभी बोलने नहीं दूंगा मैं। मैंने जानकारी मांगी है, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। व्यवस्था का ध्यान रखिये।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रियों के सामने, सरकार के सामने इस तरह का

(श्री रमेश)

वक्तव्य दे रहा है जो राजस्थान के निवासियों के लिए और राजस्थान के लोगों के लिए ...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा न, जानकारी के लिए भेजा है, आपसे निवेदन किया है। माननीय विधायक, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जानकारी के लिए सरकार को भेजा है और आपका वो ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: यहां नहीं आयी है। अखबारों के आधार पर मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह जानकारी आ जाने दीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: यह जानकारी आ जाने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा। जानकारी आने के बाद ही इस स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय लूंगा। कृपया विराज जाइये।

हां, मानिकजी, दो मिनट।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीडूंगरगढ़ तहसील के शेरूणा में तीतर शिकारियों के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही का प्रकरण

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दु:ख के साथ मुझे यह स्थगन प्रस्ताव पेश करना पड़ा है।

शेरूणा बीकानेर जिले का एक महत्वपूर्ण गांव है और वहां एस.एच.ओ. है। उस गांव में, उसी के क्षेत्र के गांव बापेऊ में एक 11 तीतर मारने की घटना 04 सितम्बर को हुई। धन्यवाद देना चाहिए सांवतसर, बापेऊ और लिखमीसर उत्तरादा के लोगों को कि चार-पांच गाड़ियों में 50 आदमियों ने पीछा कर बापेऊ में जो शिकार कर रहे थे, उन शिकारियों को रोका। गाड़ियों को रोका। जब गाड़ियों को रोका, शिकारी तो भाग गये पर उन्होंने उस 11 तीतर की गाड़ी को रोक लिया। काले रंग की गाड़ी, अध्यक्ष महोदय, मैंने नम्बर दिया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बापेऊ से जो भी दूरी इस शेरूणा की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

है, वो 40-50 आदमी चार-पांच गाड़ियों में उस रामप्रसाद ए.एस.आई. के साथ आये। 9.50 पी.एम. पर 04 तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी। उसी एफ.आई.आर. से जो रपट देयता हैं और साथ आने वाले हैं, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जीव रक्षा के लिए विश्नोई समाज, जाट समाज कितना उतावला है और कितना प्रेरित है, 50 आदमी उन तीतरों की रक्षा के लिए, उनके खिलाफ मुकदमे बन जाएं। वो वहां पर आये, और आप ताज्जुब करेंगे कि जब वो सूडसर से निकल रहे थे जो शेरूणा से करीब 9-10 किलोमीटर है, तो सी.ओ. का फोन आता है ए.एस.आई. को, तुम कहां हो, क्या कर रहे हो। जब सी.ओ. को पता चला कि उसने एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है ग्राम बापेऊ में, वो सी.ओ. क्रोधित हो गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन का मामला है, माननीय अध्यक्ष महोदय। उसी सी.ओ. के हलके में तीन मोर मारने के किस्से डेढ़-दो महीने में हो चुके हैं, कोई सक्षम कार्यवाही आज तक किसी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट के मामलों में नहीं हुई जिसमें कम से कम तीन साल की सजा है और जुर्माना तो जो है उसकी बात नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आपने ध्यानाकर्षित कर दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पीड़ा हमारी है वह यह है कि मुल्जिमान के खिलाफ कार्यवाही नहीं और जो उस गाड़ी के साथ आये और जिन्होंने उस गाड़ी को पकड़ने में मदद की, उन सब 8 लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. नम्बर 109 दर्ज कर ली गई और उन 8 लोगों को जेल के सींखचों में आपके सी.ओ. ने डाल दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 8 आदमियों को जेल में डालने का 151 में क्या औचित्य है? क्या हिन्दुस्तान में रूल आफ ला खतम हो गया? क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट में सूचना देने पर लोगों को गिरफ्तार होना पड़ेगा? यह जो स्थिति बन रही है राजस्थान में, खासकर सी.ओ. डूंगरगढ़ की जो दादागीरी और आपाधापी है...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री उसको तत्काल वहां से हटाएं और इन दोनों एफ.आई.आर. की जांच सी.आई.डी. (सी.बी.) से कराने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री पब्बाराम (फलौदी): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। आपका नहीं है। बस मानिकजी, विराजिये। बस हो गया। आपने ध्यानाकर्षण कर दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गुलाबजी रेस्पोंड कर रहे हैं, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आज सारे राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, खींवसर से आने वाले माननीय विधायक। अंकित नहीं हो उनका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह एक व्यवस्था है। उनको बोलने का मौका दिया, वह बोल रहे हैं। आप भी अगर देते तो आपको बोलने का मौका देते। माननीय गुलाबजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक सैकण्ड अध्यक्ष महोदय, जब घटना की जानकारी एस.पी. को हुई तो उन्होंने बहुत सही कदम उठाया और सी.आई. को लाइन हाजिर कर दिया। चूंकि सी.ओ. के खिलाफ उनका अधिकार नहीं है कि वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करें, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी.ओ. के खिलाफ आपको तत्काल कार्यवाही करनी है। 3 मुकदमे मोर मारने के पहले से पड़े हैं और चौथा यह 11 तीतरों का मुकदमा है जिसमें मुल्जिमान खुले घूम रहे हैं और जो मुस्तगीश हैं, जो रपट देने वाले हैं उनको गिरफ्तार करके अन्दर डाला जा रहा है। उनको एस.पी. ने छुड़वाया और एस.पी. के इंटरवेंशन से ही सी.ओ. आज पुलिस लाइन में है। राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि आप सी.ओ. को तत्काल सस्पैंड करें, उसका ट्रांसफर करें और सी.आई.डी. (सी.बी.) से इन दोनों-तीनों मुकदमों की जांच कराएं, एफ.आई.आर. नम्बर 108, 109 और 110 की।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जो पीड़ा है वह स्वाभाविक है। लेकिन जब तक विषय के सारे तथ्य नहीं आएं, तब तक किसी के खिलाफ

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तुरन्त यहां दबाव के कारण से कोई कार्यवाही कर दें, यह गुलाब चन्द कटारिया से सम्भव नहीं है।

लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की किसी सीनियर अधिकारी को भेजकर सारे तथ्यों की जांच करवा लूंगा। एक सैकण्ड, आप विराजें। आप यहां हाउस पर दबाव के द्वारा मुझसे कुछ करवा लेंगे, यह सम्भव ही नहीं है। मैं वही करूंगा जो सही होगा।

मैं इसके लिए आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि मैं किसी सीनियर अधिकारी को भेजकर इस सारे प्रकरण में जहां कहीं भी कोई भूल, गलती, कमी रही है, उसके अनुसार जरूर एक्शन करूंगा। लेकिन उसका शराब का ठेका जला देना, यह भी किसी को कानून में अधिकार प्राप्त नहीं है। शिकायत करना सम्भव है, शिकायत की बात सही है। लेकिन किसी को यह अधिकार भी नहीं है कि कोई जाकर आगजनी कर दे और उसके बाद भी पुलिस कार्यवाही नहीं करे। यह भी सम्भव नहीं है। जो भी काम होगा, नियमों के तहत होगा, इतना मैं आश्वस्त आपको कर सकता हूं। अगर डीवाई एसपी भी उस जांच में दोषी पाया तो हंड्रेड परसेंट उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन जांच आने के बाद।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया, चाही हुई है। सी.ओ. डूंगरगढ़ शराब के नशे में था और सैकड़ों आदमियों से मारपीट की है।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिए। आप कृपया बैठिए, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री जगदीश नारायण।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जमवारामगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत जमवारामगढ़ में स्थित अनेक गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री जगदीश नारायण)

इस सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ स्थित विठलपुर, सुरेठी बिशनपुरा, केलनवास, गोपालगढ़, नवपुरा, भिवास, घाटी घनश्यामपुरा, साहू, साहू शीरा, जमवाघाट, रासावाला, बस्सी, काली बरकड़ी, डगोता, काणीखोर, दांतली, पावटा, महंगी, गुढा-हरूका, बामनवाटी, महंगौर, नांगल तेजसिंह, रायसर, रामजीखुरा, कुशलपुरा, डारोलाई, चैनपुरा इत्यादि गांवों में सरकार द्वारा जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गांवों की जमीनों पर सरकार द्वारा रोक लगाने के कारण मेरे क्षेत्र के गरीब किसान, मजदूर को किसी भी प्रकार का ऋण बैंकों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। उनकी पहले से जो विचाराधीन फाइलें बैंकों में लगी हुई थीं, वे भी लौटाई जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन की रोक से किसान क्रेडिट कार्ड पर जो सुविधाएं मिल रही थीं, उनसे भी आज किसान को वंचित कर दिया गया है। सरकार को रजिस्ट्रेशन पर रोक से राजस्व की हानि हो रही है।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के बेचान या खरीद पर मात्र स्वामित्व का स्थानान्तरण होता है, जबकि जमीन जहां है वहीं रहती है। निकट भविष्य में सरकार को जब भी अधिग्रहण करने की आवश्यकता पड़े तो उस वक्त जिसके स्वामित्व में जमीन है, उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता की भावनाओं को सदन के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचा कर निवेदन करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाने की कार्यवाही की जाए।

इस सम्बन्ध में मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से पुरज़ोर शब्दों में मांग है कि जन हित के इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उक्त गांवों की जमीनों पर लगी रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने के आदेश प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दकिशोर महरिया।

फतेहपुर (सीकर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा मैं राज्य सरकार व शिक्षा मंत्रीजी का

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

ध्यान फतेहपुर शहर में सरकारी कालेज नहीं होने से शिक्षा सुविधा के अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र शेखावाटी की हृदय स्थली के रुप में जाना जाता है। यह क्षेत्र फ्लोराइड युक्त जल की वजह से मरुस्थलीय होने के साथ-साथ एक फसली क्षेत्र है। यहां कोई रॉ-मैटीरियल नहीं होने की वजह से कोई बड़ा उद्योग-धंधा भी नहीं है। पुराने समय से यहां के लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए अपना जन्म स्थान छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा ही मात्र एक ऐसा हथियार है इस क्षेत्र के पास जिसकी सहायता से यहां के लोग आगे बढ़ सकें। देश-विदेश में नाम कमाने वाले यहां के प्रतिभाशाली लोगों को कालेज शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने की वजह से दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आजादी के 67 साल बाद भी फतेहपुर क्षेत्र राज्य का वह चुनिंदा उपखंड है जहां एक भी सरकारी कालेज नहीं है।

इस क्षेत्र में कितने होनहार छात्र-छात्राएं हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष 2145 लड़कों ने यहां बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें से कइयों ने सीकर में ही नहीं बल्कि राजस्थान स्तर पर भी अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है। सरकारी कालेज नहीं होने की वजह से पढ़ाई छोड़कर अपनी आजीविका कमाने के लिए बाहर देश-विदेश में जाना पड़ता है। छात्र संख्या एवं इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सभी संकायों के साथ सरकारी कालेज खोला जाए। इस क्षेत्र में कई ऐसे दानदाता भी हैं जो जमीन व भवन के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करवाना चाहता हूं कि कालेज जितना जल्द हो सके, खोला जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

सपोटरा के मण्डरायल को नवीन पंचायत समिति का दर्जा

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सपोटरा का उपखण्ड मण्डरायल है। इस उपखण्ड के लोगों को पंचायत समिति सम्बन्धी कार्यों के लिए पंचायत समिति सपोटरा जाना पड़ता है जो कि मण्डरायल से 85 किलोमीटर से अधिक

(श्री रमेश)

की दूरी पर स्थित है। साथ ही आने-जाने के लिए सीधी बस सेवा नहीं होने के कारण लोगों को छोटे-छोटे कार्य के लिए भी दो-तीन दिन रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

मण्डरायल उपखण्ड अति पिछड़ा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र होने के साथ ही डांग एवं दस्यु प्रभावित क्षेत्र है जिसके कारण विकास के कार्यों की कमी तथा अधिकारियों की प्रभावी मानिटरिंग नहीं होने से इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है। सपोटरा पंचायत समिति में 55 ग्राम पंचायतें हैं जिनकी कुल आबादी 3 लाख से अधिक है। तहसील सपोटरा के अन्तर्गत 41 (तहसील सपोटरा की 33 एवं उप तहसील करणपुर की 08) तथा मण्डरायल तहसील में 14 ग्राम पंचायतें स्थित हैं। उपखण्ड एवं करणपुर की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण ग्राम पंचायतें 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक फैली हुई हैं। उप तहसील करणपुर से तहसील सपोटरा की दूरी 102 किलोमीटर है एवं आवागमन के कोई सीधे साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। जबकि तहसील मण्डरायल महज 32 किलोमीटर की दूरी पर है। सीधे सम्पर्क सड़क से जुड़ा होने के कारण उप तहसील करणपुर की 6 ग्राम पंचायतों को मण्डरायल तहसील में शामिल किया जाकर उप खण्ड मण्डरायल को नवीन पंचायत समिति बनाया जाना सम्भव है। प्रशासनिक दृष्टि से मण्डरायल उप खण्ड में जिसमें 14 पटवार मण्डल, 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा 56 ग्राम हैं, यदि उप तहसील करणपुर को शामिल किया जाता है तो प्रशासनिक दृष्टि से समरूपता के तहत कुल 24 पटवार मण्डल, 3 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत तथा 106 ग्राम हो जाएंगे। इसी प्रकार सपोटरा तहसील में 34 पटवार मण्डल, 5 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत व 118 गांव होंगे जिससे क्षेत्राधिकार सम्बन्धी असमानता के कारण प्रशासनिक तौर पर दृष्टिगत विसंगति को दूर किया जा सकता है।

वर्ष 2010-11 में तत्कालीन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कलक्टरों के सम्मेलन में भी इस प्रकार की प्रशासनिक विसंगति का मुद्दा उठाये जाने पर मुख्य सचिव द्वारा जिला कलक्टर करौली को पंचायती राज के अन्तर्गत कार्यरत पंचायत समितियों का क्षेत्राधिकार समरूप नहीं होने के कारण राज्य सरकार की प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया के तहत राजस्व तहसीलों को पंचायत समितियों के क्षेत्राधिकार के समरूप किये जाने के प्रस्ताव राजस्व मण्डल को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे जिसके अन्तर्गत जिला कलक्टर करौली द्वारा

(श्री रमेश)

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मण्डरायल को नवीन पंचायत समिति बनाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा सहित भिजवाया जा चुका है।

सपोटरा से मण्डरायल की दूरी 85 किलोमीटर से अधिक होने एवं इस सम्पूर्ण डांग क्षेत्र की अत्यन्त विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा अति पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए मण्डरायल को नवीन पंचायत समिति बनाना अत्यन्त आवश्यक है जिसके अभाव में इस क्षेत्र का आशातीत विकास होना सम्भव नहीं है।

अत: मेरा माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय से अनुरोध है कि मण्डरायल को नवीन पंचायत समिति बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

टोडाभीम की खराब सड़कें

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके सामने मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की बात रखना चाहता हूं। टोडाभीम में राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें खराब हैं। पहले भी मैंने इस प्रश्न को माननीय मंत्रीजी के सामने दोनों-तीनों बार उठाया है लेकिन आज तक इस मामले में कोई सुनिश्चित जवाब सरकार नहीं दे पायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो 90 दिन की कार्य योजना बनाई थी, उसका क्या हुआ? आपने जो असत्य आश्वासन देकर ग्रामीण जनता को गुमराह किया, उसका नतीजा आपको कल उप चुनाव के रिजल्ट में पता चलेगा। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार को बने हुए दस माह का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी ...(व्यवधान) क्षेत्र में आएं तो पता चलेगा कि दस माह में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य करवाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में पूर्व सत्र में सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया

(श्री घनश्याम)

था कि मैं एक कमेटी बनाकर आपकी इन पूरी सड़कों की जांच करवाऊंगा। एक महीने का आश्वासन मंत्रीजी ने दिया कि एक महीने में रिपोर्ट तैयार करके मंगवाऊंगा। आज तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। पांच-छह महीने बाद भी आज सड़कों की यह हालत है कि नादौती से शहर और गुढ़ाचन्द्रजी से टोडाभीम, टोडाभीम से महावीरजी और तरीरी से लपावली, ...(व्यवधान) बिलकुल बंद हो चुकी हैं। (व्यवधान) पर्ची पर है, साहब।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित किया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आज की स्थिति यह है, मंत्री महोदय ने कहा कि हम एक सड़क को पीपीपी माडल पर बनाएंगे। पर पीपीपी माडल पर बनाएंगे तो जो रोड बंद हो गई, बिलकुल आवागमन बंद हो गया है, उसको तो आप दुरुस्त करवाएंगे। उसके बाद भी उन्होंने कहा, नादौती से श्रीमहावीरजी एक राष्ट्रीय तीर्थस्थल, वह रास्ता आज बिलकुल पूर्णत: बंद हो गया है, वहां से बजरी के डम्पर आते हैं, रोज दस-दस चक्के के बजरी के ट्रोले आते हैं, उन्होंने सारी सड़कों को खराब कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ध्यान आकर्षित नहीं है, मैं पिछले चार बार इस प्रश्न को लगा चुका हूं, सड़कों का, पर आज तक इस मामले में एक भी रुपये का काम, एक ट्रोली मोरम भी सरकार ने नहीं डलवाई है। एक्सईएन, एसई, चीफ इंजीनियर सबको इस मामले में लिखित में दे दिया है, सरकार को दे दिया, मंत्री महोदय को कई बार निवेदन कर दिया है पर इस तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए। कोई विपक्ष का विधायक है उनका थोड़ा बहुत काम तो होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: सदन के माध्यम से भी निवेदन हो गया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सदन के माध्यम से हो गया पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि इन दो-तीन सड़कों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहां से श्रीमहावीरजी जो तीर्थ यात्री जाते हैं, आज उनका रास्ता 100 किलोमीटर बदल कर जैन तीर्थ यात्री जा रहे हैं। गंगापुर से जो रोड है उसका आप सर्वे करवा रहे हैं, उसमें कितने साधन निकलेंगे? वह रोड भी बंद हो गया जिसका सर्वे आप करा नहीं सके।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार। (व्यवधान) अब आप विराजिये। स्थान ग्रहण कीजिये। पर्याप्त ध्यान आकर्षित कर दिया।

बड़ी सादड़ी में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख की आबादी निवास करती है, 73 ग्राम पंचायतें हैं, 1 नगरपालिका है और 4 तहसीलों को मिलाकर पूरा विधान सभा क्षेत्र बनता है जिसमें 18 पीएचसी और 4 सीएचसी हैं। 18 पीएचसी में से लगभग 12 पीएचसी ऐसी हैं जो बिना चिकित्सकों के चल रही हैं। हमारा क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, वहां अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको लगभग 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मंगलवाड़ एक ऐसी जगह है जहां रोज कोई न कोई दुर्घटना होती है। मंगलवाड़ पीएचसी बहुत महत्वूपूर्ण पीएचसी है लेकिन वहां न तो 108 है और न ही चिकित्सक है। ऐसी 12 पीएचसी हैं। आदरणीय मंत्रीजी अभी पधारे थे, उस समय भी काफी सारी बात हुई थी। ग्यासपुर एक ऐसी पीएचसी है जो 1985 में बनी थी, उसमें आज दिन तक कोई चिकित्सक नहीं लगा। 1985 में बनी और लगभग 30 साल हो गये उस पीएचसी को बने हुए, आज दिन तक वहां कोई चिकित्सक नियुक्त नहीं हुआ। पाल ऐसी पंचायत है जहां बीस साल हो गये पीएचसी बने हुए, वहां एक डाक्टर केवल एक बार लगा है, 18 सालों से वहां कोई डाक्टर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी पीएचसीज हैं जो बिना चिकित्सक के चल रही हैं। मंत्रीजी ने भी जब वे चित्तौड़ में पधारे थे तो आश्वासन दिया था कि अब आपके यहां 6 चिकित्सक लगाएंगे। मेरा माननीय मंत्रीजी से आग्रह है...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी आश्वासन पूरा करेंगे।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): आप जल्द से जल्दी चिकित्सक लगाकर हमारे क्षेत्र में जो 90 परसेंट डाक्टरों की पोस्ट वेकेंट चल रही हैं, उनको भरवाने की कृपा करें। (व्यवधान) आश्वासन दिलवा दें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात शिरोधार्य है। मेरा परसों दिलवा दें, कल छुट्टी है। वैसे मंत्रीजी उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष: तत्काल भेजूंगा। विराजिये। आज ही भेज दूंगा।

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं- जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है-

(1) राज्य कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2013,

(2) राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2014,

(3) राजस्थान वित्त विधेयक, 2014,

(4) राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री अध्यक्ष: विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा, संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 के सम्बन्ध में राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

संदेश

संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी राज्य सभा का संदेश

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा: महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम -118-का.का.(2) के अन्तर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन करवाने सम्बन्धी राज्य सभा द्वारा भेजे गये संदेश की सूचना देता हूं, जो निम्न प्रकार है-

शमशेर के. शरीफ, महासचिव, राज्य सभा

No. RS.1/35/2014-B Dated the 25th August, 2014

To,

The Secretary,
Rajasthan Vidhan Sabha,
Rajpath, Jyoti Nagar,
JAIPUR – 302005

Subject:- The Constitution (One Hundred and Twenty-First Amendment) Bill, 2014.

Sir,

I am directed to state that the Constitution (One Hundred and Twenty-First Amendment) Bill, 2014 has been passed by the House of the People on 13th August, 2014 and by the Council of the States on 14th August, 2014. A copy of the Bill as introduced in the House of the People and a copy of the Bill as passed by the Houses of Parliament, are sent herewith.

(विशिष्ट सचिव)

2. As the Bill contains amendments which attract the provisions of clause (b) of the proviso to clause (2) of Article 368 of the Constitution, the amendments are required to be ratified by the Legislatures of not less than one half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill is presented to the President for his assent.

3. I am accordingly to request that a resolution ratifying the amendments may be placed before the State Legislature Assembly/the State Legislative Council, as early as practicable, and the result be communicated to this Secretariat.

4. It is suggested that the proposed resolution may be on the following lines:-

> "That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of clause (b) of the proviso to clause (2) of Article 368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty-First Amendment) Bill, 2014, as passed by both the Houses of Parliament."

5. The Parliamentary proceedings on this Bill are being printed and as soon as these are available, necessary number of copies thereof alongwith the copies of the Bill, as introduced in the Lok Sabha, and as passed by both Houses of Parliament, will be forwarded to you for the use of the Members of the State Legislatures through the Liaison Officer of your State in New Delhi. I may also inform you that the aforesaid proceedings and the bills will also be available on the Rajya Sabha website "rajyasabha.nic.in" in due course.

6. I am also enclosing a copy of the National Judicial Appointments Commission Bill, 2014, as introduced in Lok Sabha and as passed by the Houses of Parliament, as the two Bills are inter-dependent. The Parliamentary proceedings on this Bill will be sent along with the proceedings on the Constitution (One Hundred and Twenty-First Amendment) Bill, 2014. The National Judicial Appointments Commission Bill, 2014 will be sent to the President only when the Constitution (One Hundred and Twenty-First Amendment) Bill, 2014 is ratified by the States and receives the assent of the President.

7. The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Sd/-

(Shumsher K. Sheriff)

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री। (व्यवधान) बाकी है? एक मिनट विराजिए।

विशिष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा: मैं राज्य सभा से प्राप्त संदेश को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: नाऊ। श्री गजेन्द्र सिंह।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2010-11)

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2010-11, एवं

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2010-11)

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2010-11.

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति।

सूचना

सर्प दंश के उपचार हेतु इंजेक्शन की अनुपलब्धता

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से। राजस्थान के अन्दर 91 मौतें सिर्फ इसलिए हुई हैं कि राजस्थान के अन्दर सांप काटता है उसके जहर को उतारने के लिए जो इंजेक्शन होते हैं वे अवेलेबल नहीं हैं। बड़ा गम्भीर विषय है, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से चाहूंगा कि इसके ऊपर कल स्टेटमेंट दें या परसों स्टेटमेंट दें, बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, 91 आदमी राजस्थान के अन्दर मर गये और दवाइयां अस्पतालों में अवेलेबल नहीं हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं। सरकार क्या कार्यवाही कर रही है इसके बारे में जानकारी आनी चाहिए। बड़ा इंपोर्टेंट विषय है, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जवाब देंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परसों इसके बारे में स्टेटमेंट दे दूं? (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी। (व्यवधान)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए महाराष्ट्र एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद फजल, राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री श्री भैरूंलाल मीणा, पूर्व सांसद श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री भीमराज मीणा, श्री रघुवर दयाल एवं श्री रामेश्वर लाल सैनी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

मोहम्मद फजल, श्री, पूर्व राज्यपाल, गोवा व महाराष्ट्र

महाराष्ट्र एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल श्री मोहम्मद फजल का जन्म 2 जुलाई, 1922 को हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक तथा लंदन स्कूल आफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस, लंदन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की।

श्री मोहम्मद फजल 26 नवम्बर, 1999 से 25 अक्टूबर, 2002 तक गोवा तथा 10 अक्टूबर, 2002 से 5 दिसम्बर, 2004 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान आपके पास दिनांक 3 से 16 जुलाई, 2004 तक गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। वर्ष 1977 में भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के सचिव रहे श्री फजल वर्ष 1980 से 1985 तक योजना आयोग के सदस्य रहे। वर्ष 1985 में राजकीय सेवा से त्यागपत्र देने के उपरांत आपने अनेक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया।

श्री मोहम्मद फजल का दिनांक 4 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया।

भैरूंलाल मीणा, श्री, पूर्व सांसद व विधायक

पूर्व राज्य मंत्री एवं सदस्य श्री भैरूंलाल मीणा का जन्म 1 जनवरी, 1934 को उदयपुर जिले के ग्राम टीडी में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री भैरूंलाल मीणा सातवीं एवं आठवीं राजस्थान विधान सभा में

(श्री अध्यक्ष)

कांग्रेस के विधायक रहे। आप सातवीं विधान सभा में उदयपुर ग्रामीण तथा आठवीं विधान सभा में सराड़ा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री मीणा जून, 1989 से मार्च, 1990 तक नियोजन, वन, पर्यावरण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री रहे। इस दौरान आपके पास जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति ''क'', अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति भी रहे।

श्री मीणा दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं एवं तेरहवीं लोक सभा में सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप श्रम एवं कल्याण सम्बन्धी समिति, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति, इस्पात एवं खान मंत्रालय तथा संचार एवं रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

श्री मीणा अपने सार्वजनिक जीवन में 14 वर्ष ग्राम पंचायत, टीडी के सरपंच, उदयपुर नगर विकास न्यास एवं जनजाति उपयोजना समन्वय एवं निर्देशन समिति के सदस्य तथा राजस्थान भूमि विकास बैंक, उदयपुर के अध्यक्ष रहे। औद्योगिक कामगारों के कल्याण, कृषि विकास और दलितों की शिक्षा एवं उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री मीणा को वर्ष 1989 में जनजाति कल्याण के लिए ''महाराणा पुंजा अवार्ड'' से सम्मानित किया गया।

श्री भैरूंलाल मीणा का दिनांक 19 अगस्त, 2014 को निधन हो गया।

निर्मला कुमारी शक्तावत, श्रीमती, पूर्व सांसद व विधायक

पूर्व सदस्य श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत का जन्म 5 मई, 1938 को चित्तौड़गढ़ में हुआ। आपने एम.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत पांचवीं राजस्थान विधान सभा में चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक रहीं। श्रीमती शक्तावत सातवीं तथा आठवीं लोक सभा में सांसद भी रहीं। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति तथा आवास समिति की सदस्य रहीं।

वर्ष 1961 से 1972 तक व्याख्याता रहीं श्रीमती शक्तावत जोधपुर विश्वविद्यालय कार्यकारिणी की सदस्य रहीं। आप जी.डी. गर्ल्स कालेज, कोटा,

(श्री अध्यक्ष)

आर.एम.वी. कालेज, उदयपुर तथा पी.जी. कालेज, उदयपुर की प्रेसीडेंट भी रहीं। कांग्रेस से सम्बद्ध रहीं श्रीमती शक्तावत जिला कांग्रेस कमेटी, चित्तौड़गढ़ की उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष रहीं। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की टीचर्स सैल की संयोजक भी रहीं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत का दिनांक 8 अगस्त, 2014 को निधन हो गया।

भीमराज मीणा, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व सदस्य श्री भीमराज मीणा का जन्म 10 अगस्त, 1968 को डूंगरपुर जिले के रैटूवाफला ग्राम में हुआ। आपने सीनियर हायर सैकण्डरी तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री भीमराज मीणा दसवीं राजस्थान विधान सभा में आसपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप राजस्थान विधान सभा की अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य रहे।

सामाजिक कार्यकलापों में रुचि रखने वाले श्री मीणा राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, आसपुर के संयोजक तथा अनुसूचित जनजाति एवं मीणा कटारा क्षेत्र, आसपुर के अध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, डूंगरपुर के जिला उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री भीमराज मीणा का दिनांक 15 अगस्त, 2014 को निधन हो गया।

रघुवर दयाल, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व सदस्य श्री रघुवर दयाल का जन्म नवम्बर, 1933 में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रघुवर दयाल आठवीं राजस्थान विधान सभा में रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे।

श्री रघुवर दयाल अपने सार्वजनिक जीवन में रामगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। समाज सुधार एवं सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री रघुवर दयाल आर्य समाज, रामगढ़ के अध्यक्ष भी रहे।

श्री रघुवर दयाल का दिनांक 7 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

रामेश्वर लाल सैनी, श्री, पूर्व विधायक

पूर्व सदस्य श्री रामेश्वर लाल सैनी का जन्म 28 अगस्त, 1931 को हुआ। आपने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामेश्वर लाल सैनी पांचवीं राजस्थान विधान सभा में गुढा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री सैनी अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1952 से 1960 एवं 1970 से 1972 तक नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। आप ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे।

श्री रामेश्वर लाल सैनी का दिनांक 14 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

जम्मू-कश्मीर व अन्य राज्यों में बाढ़ से मृत व्यक्ति

जम्मू एवं कश्मीर तथा देश के कुछ अन्य राज्यों में गत दिनों आई बाढ़ से जान-माल की हानि होने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग बेघर भी हो गये हैं। मैं इस प्राकृतिक आपदा में मारे गये व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा बाढ़ पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.43 बजे बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2014 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)